संख्या 548/पचास-यु.क.-2009-102पी.वी.डी./88

प्रेषक,

डॉ.एस.एस. सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल,
एवं युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2009

विषयः- प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 300/पचास-यु.क.-94-102 पी.वी.डी./88, दिनांक 11 मई, 1994, शासनादेश संख्या 1280/पचास-यु.क.-94-102 पी.वी.डी./88, दिनांक 16 मई, 1994, शासनादेश संख्या 851/पचास-यु.क.-97-102 पी.वी.डी./88, दिनांक 19 अगस्त, 1997, शासनादेश संख्या 1626/पचास-यु.क.-98-102 पी.वी.डी./88, दिनांक 11 अगस्त, 1998, शासनादेश संख्या 23 वि.मं./पचास-यु.क.-2001-102पी.वी.डी./88, दिनांक 20 जुलाई, 2001 एवं शासनादेश संख्या 2902/पचास-यु.क.-2007-102 पी.वी.डी./88, दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रादेशिक विकास दल के प्रशिक्षित स्वयं सेवकों के पारिश्रमिक दरों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	वर्तमान दर (रूपये में)	पुनरीक्षित दर (रूपये में)
1. जनपदीय ड्यूटी के लिए	75-00 प्रति स्वयं सेवक	126-00 प्रतिदिन प्रति स्वयं सेवक
2. अन्तर्जनपदीय ड्यूटी के लिए	80-00 प्रति स्वयं सेवक	126-00 प्रतिदिन प्रति स्वयं सेवक

2- किसी एक दिन पी.आर.डी. स्वयं सेवक की अधिकतम् तैनाती उनकी कुल संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं की जायेगी।

3- 25 प्रतिशत की तैनाती जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी और इससे ऊपर यदि आवश्यकता होगी तो 10 प्रतिशत की तैनाती मण्डलायुक्त की अनुमति से की जायेगी तथा जनपदवार आवंटन भी इसी प्रकार किया जायेगा। यदि इससे अधिक की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि शान्ति व्यवस्था के लिए आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए गृह विभाग का अनुमोदन तथा अन्य के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पी.आर.डी. स्वयं सेवकों की ड्यूटी उन्हीं कार्यों के लिए लगायी जाय जो कार्य/कर्तव्य उनसे नियमानुसार अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए पी.आर.डी. स्वयं सेवकों का प्रयोग न किया जाय।

5- यदि किसी विभाग द्वारा पी.आर.डी. स्वयं सेवकों की ड्यूटी की आवश्यकता हेतु मांग की जाती है तो उसका भुगतान सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

6- पुनरीक्षित दरें शासनादेश के निर्गमन की तिथि से लागू होंगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 210 वी./ई.-2/दस-2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 548(1)/पचास-यु.क.-2009-102 पी.डी.डी./88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2,
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,/अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डॉ. एस.एस. सिंह)
विशेष सचिव।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com